आप.प्र.क.: 75 / 2015

## न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०) (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 75 / 2015

संस्थित दिः 28 / 01 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी
विरूद सम्पत मेरावी पिता छोटेलाल, उम्र 25 साल, जाति गोंड	
निवासी मोहराई थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्रू.)	आरोपी

## -<u>:: निर्णय ::</u>-

## (आज दिनांक 28/01/2015 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस—7) के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 19.01.2015 को शाम के 05:30 बजे स्थान वन ग्राम सुकड़ी के नाला के पास थाना गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक सी. जी.10—सी.1338 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर वाहन में बैठे कमलाबाई, बसंतीबाई, जगोतिनबाई, सोमकलीबाई, शान्तिबाई, हमेश्वरीबाई, तपतिसंह को उपहित कारित की।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादिया कमलाबाई ने दिनांक 19.01.2015 को आरक्षी केन्द्र गढ़ी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ग्राम सुकड़ी में विस्थापित होने से गांव के छः परिवार मिलकर ग्राम तितरी से सामान ले जाने के लिये ट्रक कमांक सी.जी.10—सी.1338 किराए पर लिये दिनांक 18.01. 2015 को सामान ट्रक में भरकर तितरी पहुंचे और वहां पर सामान खाली करके उसी ट्रक

आप.प्र.क.: 75/2015

में दूसरे दिन दिनांक 19.01.2015 को उसी ट्रक में बैठकर वापस आ रहे थे तो ट्रक के चालक ने ट्रक को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पलटी खिला दिया जिससे ट्रक में बैठे उसे, बसंतीबाई, जगोतिनबाई, सोमकलीबाई, शान्तिबाई, हमेश्वरीबाई, तपतिसंह को चोट आयी। फिरयादिया की रिपोर्ट पर ट्रक कमांक सी.जी.10—सी.1338 के चालक के विरुद्ध अपराध कमांक 6/15 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-7) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—
  - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 19.01.2015 को शाम के 05:30 बजे स्थान वन ग्राम सुकड़ी के नाला के पास थाना गढ़ी के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रक कमांक सी.जी.10—सी.1338 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
  - (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक कमांक सी.जी.10—सी.1338 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पलटी खिलाकर वाहन में बैठे कमलाबाई, बसंतीबाई, जगोतिनबाई, सोमकलीबाई, शान्तिबाई, हमेश्वरीबाई, तपतिसंह को उपहित कारित की ?

## विचारणीय बिन्दु 1 एवं 2 का सकारण निष्कर्ष :--

(05) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस–7)

आप.प्र.क.: 75 / 2015

के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

- (06) आरोपी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस–7) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस–7) के आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है ।
- (07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (08) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337(काउन्टस—7) के आरोप में प्रत्येक आहत के लिये 500/— (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपी को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।
- (09) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक सी.जी.10—सी.1338 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है । सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे। निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर मेरे उद्बोधन पर टंकित खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर,जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट